संख्या: 3 /2019 /298/ सत्रह-म-2019-6-9 (333) /2016 टी0सी0

प्रेषक,

डा0 सुधीर एम0 बोबडे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक मत्स्य,
उ0प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग लखनऊ: दिंनाक 01 मार्च, 2019

विषय वर्ष 2019-20 में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत 353 सामान्य वर्ग के मछुआ आवासों के निर्माण हेतु धनराशि रू0 423.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या 34/नि0शा0, दिनांक 01.02.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार के पत्रांक-12012/27/2009-एफ0वाई0 (डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 द्वारा वर्ष 2018-19 में ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज योजनान्तर्गत सामान्य वर्ग के 448 आवासों के निर्माण हेतु आवंटित केन्द्रांश धनराशि रू0 322.46155 लाख में पूर्व संचालित मछुआ आवास निर्माण योजना की अवशेष/अप्रयुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0 0.09845 लाख को समाहित करने के उपरान्त कुल स्वीकृत केन्द्रांश धनराशि रू0 322.56 लाख के सापेक्ष 16 जनपदों में 353 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु जनपदवार लक्ष्य एवं अपेक्षित धनराशि का विवरण उपलब्ध कराते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में धनराशि रू0 423.60 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ब्लू रिवोल्यूशन योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के पत्र संख्या-जे-12012/27/2009-एफवाई(डब्ल्यूयू) दिनांक 31.12.2018 के माध्यम से मछुआ आवासों के निर्माण परियोजना हेतु कुल 1000 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु प्रति इकाई आवास लागत रू0 1.20 लाख का 60 प्रतिशत अर्थात रू0 0.72 लाख की दर से कुल केन्द्रांश रू0 720.00 लाख की धनराशि के प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान करते हुए सामान्य वर्ग हेतु प्रथम किश्त के रूप में 448 सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को मछुआ आवास निर्माण हेतु केन्दांश के रूप में कुल धनराशि रू0 322.56 लाख आवंटित/ उपलब्ध करायी गयी है। चूंकि योजना 60 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 40 प्रतिशत राज्यांश की है। फलत: योजना के संचालन हेतु 353 मछुआ आवासों के निर्माण हेतु केन्द्रांश रू0 254.16 लाख तथा मैचिंग राज्यांश रू0 169.44 लाख सहित कुल रू0 423.60 लाख (रू0 चार

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.com

करोड तेइस लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 (संलग्नक-1) के अनुसार निर्गत करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) भारत सरकार की सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम के अन्तर्गत ब्लू रिवोल्यूशन: इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज''योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन के आदेश सं0- 20/2016/ 2362/ सत्रह-म-2016-6-9(333)/2016 दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 द्वारा निर्गत मार्ग - निर्देश / गाइड लाइन्स, एवं शासनादेश सं0-18/2017/1128/ सत्रह-म-2017 -6-9(333)/2016 दिनांक 07 जुलाई, 2017 व शासनादेश सं0-02 /2018/2236/ सत्रह-म-2018-6-9(333) /2016 दिनांक 23 जनवरी, 2018 द्वारा निर्गत संशोधित मार्ग निर्देश / गाइड लाइन्स में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

तर भारत सरकार के पत्रांक 12012/27/2009-एफ0वाई0(डब्ल्यू0यू0) दिनांक 31.12.2018 के प्रस्तर- 5 के अनुसार धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे अन्तरण हेतु **डी0बी0टी0 प्लेटफार्म** का उपयोग तथा प्रस्तर- 9 के अनुसार धनराशि का व्यय व भारत सरकार को उपभोग प्रमाण पत्र का प्रेषण **EAT MODULE OF PFMS** से कराये जाने के दिये गये विशेष निर्देशों सहित अन्य निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित कर किसी भी दशा में डाकघर /बैंक में जमा नही किया जायेगा ।

(4) निर्माण कार्यो के सम्बंध में संगत शासनादेशों में निहित व्यवस्था एवं प्रक्रिया का अनुपालन किया जायेगा ।

(5) निर्माण कार्यो के अन्तर्गत क्रय की जाने वाली सामग्री /उपकरण के क्रय की कार्यवाही हेतु समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में दी गयी व्यवस्था व अद्यतन निर्धारित प्रक्रिया आदि का अनुसरण करते हुए कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) प्रश्नगत धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशो के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा तथा समयान्तर्गत उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) प्रश्नगत धनराशि का व्यय निर्धारित मद से अन्य किसी मद/योजना में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना/ कार्यक्रम में इस मद में किसी अन्य योजना / स्रोत से धनराशि प्राप्त नही हुई है ।

(10) जिन मामलों में उ0प्र0 राज्य बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्रदान की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय किये जाने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasnadesh.up.nic.com

(11) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1/2018/ बी-1 -375 / दस -2018-231 /2018 दिनांक 30-03-2018 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 3/2018/ बी-1-438 / दस -2018-231/2018 दिनांक 24-04-2018 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- योजनान्तर्गत प्रस्तावित 353 मछुआ आवासों का आवंटन एवं अपेक्षित धनराशि का विवरण संलग्नक -2 के अनुसार होगा।

4- उक्त धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या -17 -लेखाशीर्षक-2405-मछली पालन- 101-अन्तर्देशीय मछली पालन, 01 -केन्द्र प्रायोजित योजनाएं -0102-ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट एण्ड मैनेजमेंट आफ फिशरीज(राज्यांश) 35-पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामें डाला जायेगा ।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र संख्या-ई-1-218 /दस- 2019 दिनांक फरवरी, 27 फनवरी 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 सुधीर एम0 बोबडे)
प्रमुख सचिव।

संख्या : 3 /2019 /298 (1)/सत्रह-म- 2019 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय इलाहाबाद ।
3- वित्त एवं लेखाधिकारी, मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
4- उप निदेशक मत्स्य (नियोजन) मत्स्य निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- सम्बंधित कोषाधिकारी उ0प्र0 ।
6- वित्त (व्यय- नियत्रंण) अनुभाग-1 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 /नियोजन अनुभाग-3
7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक-2

(शासनादेश संख्या: 3/ 2019 /298 /सत्रह-म-2019-6-9(333)/ 2016 टी0सी0 दिनांक 01 मार्च, 2019)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	वर्ष 2018-19 में सामान्य वर्ग हेतु मछुआ आवासों की संख्या	निर्गत वित्तीय स्वीकृति (रू0 लाख में)		
			केन्द्रांश	राज्यांश	योग
1	फतेहपुर	20	14.40	9.60	24.00
2	सिद्धार्थ नगर	20	14.40	9.60	24.00
3	शाहजहॉपुर	20	14.40	9.60	24.00
4	अयोध्या	20	14.40	9.60	24.00
5	चित्रकूट	20	14.40	9.60	24.00
6	चन्दौली	20	14.40	9.60	24.00
7	बलिया	20	14.40	9.60	24.00
8	बलरामपुर	20	14.40	9.60	24.00
9	सोनभद्र	20	14.40	9.60	24.00
10	वाराणसी	20	14.40	9.60	24.00
11	बहराइच	20	14.40	9.60	24.00
12	आगरा	20	14.40	9.60	24.00
13	गोरखपुर	20	14.40	9.60	24.00
14	श्रावस्ती	20	14.40	9.60	24.00
15	फिरोजाबाद	53	38.16	25.44	63.60
16	देवरिया	20	14.40	9.60	24.00
	कुल योग -	353	254.16	169.44	423.60

(कुल रूपया चार करोड तेइस लाख साठ हजार मात्र)

(कृपा शंकर यादव)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.com

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।